न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–20/13

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर .....प्रार्थी

बनाम

सहायक अभियंता, वाटर वर्क्स, केसरीसिंहपुर..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री सुभाष मिढढा अप्रार्थी की ओर से

।। निर्णय।। दिनांक 7/9/17

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि चक 3 यू की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नः 72/2 की 2.011 है. भूमि गैर मुमकिन जोहड के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। इन्तकाल सं. 205 दिनांक 30.01.96 द्वारा 3 यू के खसरा नः 73 की 2.011 है. भूमि में से 1.328 है. भूमि वाटर वर्क्स, केसरीसिंहपुर को जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ12(3)(16)राजस्व/95/6270 दिनांक 24.11.95 द्वारा आवंटन आदेश पारित किया गया है। पैरा 1 में वर्णित भूमि की किस्म जोहड दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि को आवंटन किया गया है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज योग्य है। रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर रिकार्ड में जोहड दर्ज किया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से श्री सुभाष मिढ़ढा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर पेश किया गया कि प्रश्नास्पद भूमि की बाजार भाव व अरबन असेसमेंट राशि कुल 19140/–रूपये जमा करवा दिये गये थे तत्पश्चात जिला कलक्टर श्री गंगानगर तत्पश्चात जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा उपशासन सचिव उपनिवेशन विभाग जयपुर को प्रेषित पत्रांक एफ 12(3)(16)राजस्व/95/1823 दिनांक 19.04.95 के अनुसार शेष 5.05 बीघा भूमि के लिये जलदाय विभाग को आवन्टन हेतु प्रेषित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के परिदृश्य शासन उप सचिव उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.20(9)उप/95 दिनांक 11 नवम्बर 1995 द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 6(114)राज/ग्रुप–3/91 दिनांक 24 अक्टूबर 1994 के प्रावधानों के अनुसार लोक हित में उपयोग हेतु जलदाय विभाग को निशुल्क आवंटित किये जाने की राजकीय स्वीकृति जारी करने पर जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 12(3)(16)राजस्व/6268 दिनांक 24 नवम्बर 1995 के अनुसार चक 3 यू तहसील करणपुर के मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 12–13,18–19(1.19) किला नम्बर 22,23,24(0.10) कुल 6.09 बीघा में से मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 23(0.14) एवं किला नम्बर 24(0.10) कुल 1.04 बीघा भूमि को छोड कर शेष 5.05 बीघा जोहड़ पायतन भूमि जलदाय जल योजना के लिये जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग श्री करणपुर को राजस्थान भू राजस्व (स्कूल कालेजों, चिकित्सालयों,धर्मशालाओं, तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवन्टन) नियम 1963 में वर्णित निबन्धन एवं शर्ते राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6(114)राज/ग्रुप–3/91 दिनांक 24 अक्टूबर 1994 के अन्तर्गत निशुल्क आवन्टन की गई। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 205 दर्ज किया जा चुका है। भूमि अप्रार्थी विभाग द्वारा निरन्तर उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा रही है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है व भारी राशि व्यय कर जन–साधारण को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। रैफरैंस अस्वीकार योग्य है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि रैफरेन्सधीन रकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के

कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

आदेशानुसार आवंटन का अधिकार जिला कलक्टर श्री गंगानगर को नहीं था। अतः जैर रैफरेन्स आदेश दिनांक 24.11.95 विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्व न्यायालय में रैफरेन्स पेश किया जावे

इसके विरोध में सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उनके प्रत्युतर में दर्ज तथ्यों के मध्य नजर रैफरैंस अस्वीकार योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत, नामान्तकरण के अनुसार भूमि जोहड़ दर्ज है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी विभाग के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर